संख्या-06/2026/61/एक-1-2026-
1-1/6/2025-रा0-1

प्रेषक,

अपर्णा यू0,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः12 मई, 2026

विषयः-अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0 को ग्राम सुर्जीपारा, परगना हरगांव, जनपद सीतापुर में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-89 के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-677/बारह-ए/सी0एफ0-56/भू0क्रय प्रस्ताव (2004)/जि0भू0व्य0लि0 दिनांक -13.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0 को ग्राम सुर्जीपारा, परगना हरगांव, जनपद सीतापुर में जन साधारण व औद्य़ोगिक क्षमता का विस्तार करने हेतु 2.940 हे0 भूमि क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-4 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में राज्यपाल महोदया अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0, (पूर्व नाम दि अवध शुगर मिल्स लि0) को जनसाधारण व औद्योगिक क्षमता के विस्तारीकरण (ट्राली यार्ड) हेतु ग्राम सुर्जीपारा, परगना हरगाँव, तहसील व जनपद सीतापुर में 2.940 हे0 भूमि क्रय करने की अनुमति निमनलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैः-

(1) अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0 (पूर्व नाम दि अवध शुगर मिल्स लि0) को जनसाधारण व औद्योगिक क्षमता के विस्तारीकरण (ट्राली यार्ड) हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि संस्था 89 की उपधारा-(4) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का अपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-98/99 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था /व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण / विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत /स्थानीय प्रधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण /विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006(यथा संशोधित) की धार-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) संस्था द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार /उत्तर प्रदेश सरकार/प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों /मा0 न्यायाधिकरणों आज के निर्णय /प्रावधान उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(10) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा।

(11) उपरोक्त सभी शर्तों एंव प्रतिबंधों का अनुपालन चीनी एंव गन्ना उद्योग विभाग तथा जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अपर्णा यू
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चीनी एवं गन्ना उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(4) अधिशाषी उपाध्यक्ष, कृते अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0, पो0आँ0-हरगांव, सीतापुर, उ0प्र0-261121
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरुण प्रकाश
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in